सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

संख्या- 69 राँची, मंगलवार, 10 माघ, 1939 (श०) / 30 जनवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

6 दिसम्बर, 2017

संख्याः-5/आरोप-1-33/2015 का.-11928 -- श्री विजय केरकेट्टा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो, लोहरदगा के विरूद्ध एक महिला से शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने संबंधी आरोपों हेतु इन्हें असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(1)(क) के तहत् आदेश सं०-7096, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्‌वारा निलंबित किया गया ।

2. पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक-570/अप०शा०, दिनांक 11 मई, 2016 द्‌वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री केरकेट्टा को दिनांक 21 अगस्त, 2015 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

3. विभागीय आदेश सं०-7677, दिनांक 2 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री केरकेट्टा को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 21 अगस्त, 2015 से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के अंतर्गत अगले आदेश तक निलंबन जारी रखा गया ।

4. लोहरदगा महिला थाना कांड सं०-23/14, दिनांक 13 जून, 2014 को अपर सत्र न्यायाधीश-1, लोहरदगा के द्वारा ST Case No. 170/15 में दिनांक 19 जुलाई, 2017 को पारित आदेश में श्री केरकेट्टा को आरोप मुक्त कर दिया गया ।

5. अपर सत्र न्यायाधीश-1, लोहरदगा द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-9489, दिनांक 1 सितम्बर, 2017 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से मंतव्य की माँग की गई । उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-130(i) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, लोहरदगा के न्यायालय में दायर उक्त वाद के विरूद्ध कोई भी अपील अभियोजन की ओर से दाखिल नहीं की गई है । उक्त न्यायादेश के अनुरूप श्री केरकेट्टा को आरोप मुक्त करने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर की जा सकती है ।

6. लोहरदगा महिला थाना कांड सं०-23/14, दिनांक 13 जून, 2014 ST Case No. 170/15, G.R. Case No. 299/2014 में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2017 को पारित आदेश एवं उपायुक्त, लोहरदगा के मंतव्य के आलोक में श्री केरकेट्टा को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 69 -- 50